

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ4(ई)/द्वितीय ए.सी.पी. /1994/अलेसे-III/43

दिनांक:- 20-4-16

आदेश संख्या...../2015-16

श्री मुरारी लाल मीणा (585/92) लिंक नं. 3604 की कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि 06.04.1995 हैं। श्री मुरारी लाल मीणा ने कनिष्ठ लेखाकार पद पर 9 वर्ष की निरन्तर सेवा दिनांक 06.04.2004 को पूर्ण कर ली है, अतः श्री मीणा को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(2)(एफडी)(रूल्स) 98/ दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण में दिनांक 06.04.2004 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500-175-9000) में स्वीकृत किया जाता है।

श्री मुरारी लाल मीणा, कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प01 (20) वित्त/ ग्रुप-2/ 92 दिनांक 23.4.1994 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1) (डीओपी)/ क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

श्री मुरारी लाल मीणा का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्मिक को पूर्व में प्रथम चयनित वेतन मान स्वीकृत नहीं किया गया है तथा प्रथम चयनित वेतन मान देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक इन्हे कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावे।



(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)/द्वितीय ए.सी.पी. /1994/अलेसे-III/43

दिनांक:- 20-4-16

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, गंगापुरसिटी जिला-सवाईमाधोपुर।
2. श्री मुरारी लाल मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय तहसीलदार, गंगापुरसिटी जिला-सवाईमाधोपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी), वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
4. निजी / गार्ड फाईल।



(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)